भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3679

10 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कस्टम हायरिंग सेवा केन्द्रों हेतु मोबाइल एप

3679. श्री श्याम सिंह यादवः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों के आसपास के कस्टम हायरिंग सेवा केन्द्रों से जोड़ने के लिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त एप्लीकेशन को शुरू करने के उद्देश्य और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसके लाभ क्या हैं;

(ग) एप में संभावित भाषा विकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मोबाइल एप को लोकप्रिय बनाने के लिए जागरुकता पैदा की है;

(ङ) कृषि मशीनरी और उपकरणों को किराए पर देने हेतु उक्त मोबाइल एप पर पंजीकृत कस्टम हायरिंग सेवा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) उक्त मोबाइल एप की सहायता से अपने दरवाजे पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को सस्ती दर पर प्राप्त करने वाले किसानों विशेषकर लघु और सिमांत किसानों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च) : जी हां, सरकार ने ''सीएचसी-फार्म मशीनरी'' नामक बहुभाषी मोबाईल ऐप का विकास कर उसे आरंभ किया है। इससे किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से अपने ही क्षेत्र में किराए पर कृषि एवं उपकरण प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

उपरोक्त एप्प को आरंभ करने का उद्देश्य एवं लक्ष्य लघु एवं सीमांत किसानों तथा जटिल क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को सस्ती किराए दरों पर मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से आस-पास के स्थानीय क्षेत्र में सीएचसी में उपलब्ध उच्च वेल्यू एवं उच्च तकनीकी वाली कृषि मशीनों तक आसान पहुंच प्रदान करना है।

इस एप्प के लाभ इस प्रकार हैं-

1. कस्टम हायरिंग सेवाएं प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना।

2. किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्रों की सेवाएं प्रदान करने में सीएचसी की सहायता करना।

3. यह बहुभाषी एप्प है जिसे किसानों की आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है।

4. वगैर कंप्यूटर की सहायता से किसानों को सीएचसी की सेवाएं प्राप्त करने में सहायता देना।

5. मोबाईल पर एक आसान टैप से सीएचसी की पहुंच लघु एवं सीमांत किसान प्राप्त कर सकते हैं।

6. यह मोबाईल एप्प किसानों को यंत्रीकरण के बाहर भी शीघ्र पहुंच बनाने में सहायता करेगा।

7. इस मोबाईल एप्प मे ऐसी व्यवस्था है जिससे किसान एवं सीएचसी प्रदाता अपने अनुभवों को परस्पर साझा कर सकते है।

8. कम यंत्रीकरण वाले क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को सुदृढ़ करने में इससे सहायता मिलेगी।

9. ग्रामीण युवाओं को बिजनेस मॉडल प्राप्त होगा।

वर्तमान में यह एप्प 12 भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगू एवं ऊर्दू में है।

जागरूकता को पैदा करने तथा इस एप्प को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

आज की तिथि में इस मोबाइल एप्प पर किराए पर देने के लिए 41992 सीएचसी के साथ 133723 कृषि मशीनें पंजीकृत हैं। इस मोबाइल एप्प की सहायता से अपने घर में ही सस्ती अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए इस मोबाइल पर कुल 112505 किसान उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत हैं।

अनुबंध-I

सरकार ने जागरूकता पैदा करने तथा मोबाइल सीएचसी-फार्म मशीनरी एप्प को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न कदम उठाए हैं -

i. इस विभाग में पंजीकृत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के 3209128 किसानों के मोबाइल में इस मोबाइल एप्प के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए **'हिंदी एसएमएस मैसेज'** भेजे गए थे।

ii. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ताकि राज्य कृषि विभागों एवं केवीके एवं आईसीएआर संस्थानों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा स्थानीय प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया, बैनर, पेंटिंग तथा पम्फलेट आदि के माध्यम से जमीनी स्तर पर किसानों एवं सीएचएसी मालिकों के बीच इस मोबाइल एप्प के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें प्रेरित किया जा सके।

iii. डीएसीएंडएफडब्ल्यू के संबंधित अधिकारियों ने इस मोबाइल एप्प पर सीएचसी के उपयोग एवं पंजीकरण के बारे में सीएचसी एवं किसानों को प्रदर्शन देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में स्थित सीएचसी का दौरा किया है।

iv. कृषि यंत्रीकरण एवं मोबाइल एप्प, सीएचसी-फार्म मशीनरी के माध्यम से स्वस्थाने पराली के प्रबंधन पर एक गहन प्रोत्साहन जागरूकता कार्यक्रम इस विभाग द्वारा 10.11.2019 से 16.11.2019 तक आयोजित किया था। इन कार्यक्रमों का आयोजन संबंधित राज्य कृषि विभागों, केवीके, किसानों, सीएचसी मालिकों एवं कृषि यंत्र उत्पादकों के सहयोग से जिला/ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए इस विभाग के अधिकारियों की कुल 36 टीमें पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के जिलों में लगाई गई हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पंजाब के 21 जिले, हरियाणा के 22 जिले एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को कवर किया गया था।

*****